न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 63/2020 प्रार्थना पत्र

श्रीमती रचना चौधरी पत्नी सतीशचन्द्र चौधरी, जाति कलाल, आयु 50 साल, निवसी 234, आर.के. कॉलोनी, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीया

//बनाम//

1. रूपचंद पिता रामचन्द्र सिंधी, आयु 66 साल, निवासी आर.के. कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री वसीम मंसुरी, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.01.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजीयात वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी नं. 436/263 मीन रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। इस भूमि के दक्षिण में विपक्षी संख्या 1 की आराजी नं. 414/263 रकबा 0.0400 हैक्टेयर ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है। विपक्षी संख्या 1 की कृषि आराजी उसके नाम पर राजस्व अभिलेखों में श्रीमान द्वारा पारित आदेश जो प्रकरण संख्या 149/2014 दिनांक 12.12.2014 को पारित किया गया था, के अनुसरण में दर्ज हुई है। विपक्षी संख्या 1 की उक्त आराजीयात को राजस्व कर्मियों द्वारा राजस्व नक्शे में प्रार्थीया की कृषि आराजी के उत्तर की ओर बता दिया गया है जबकि उक्त कृषि आराजी प्रार्थीया की कृषि आराजी के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है जो मौके की स्थिति से पूर्ण सिद्ध है। राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व नक्शे में विपक्षी संख्या 1 की दर्शित उक्त भूमि प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है [illegible] त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित विपक्षी संख्या [illegible] की कृषि आराजी का राजस्व नक्शे में प्रार्थीया की आराजी के दक्षिण दिशा में दिखाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी नं. 179 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसमें से आराजी नं. 301/179 रकबा 1 बीघा प्रेमचन्द रावत के नाम तथा 179 मी रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा रूपलाल रावत के नाम थे जो मौके अनुसार रोड के किनारे उत्तर से दक्षिण भाग 179 मीन एवं उसके उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम वाला भाग आराजी नं. 301/179 था। आराजी नं. 179 मी रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा बाद में मोहनलाल पिता तोलीराम एवं बंशीलाल पिता रामचन्द्र सिन्धी सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार आराजी नं. 301/179 मी रकबा 1 बीघा में से 15 बिस्वा (आराजी नं. 301/179मी) भूमि बाबुलाल पिता रतनलाल जैन के नाम दर्ज हई एवं 5 बिस्वा (आराजी नं. 323/301/179) भूमि रूपचन्द पिता रामचन्द्र सिंधी के नाम दर्ज हुई। बाद में आराजी नं. 301/179मी रकबा 15 बिस्वा में से 3 बिस्वा रूपचन्द पिता रामचन्द्र सिंधी सा. निम्बाहेड़ा व 12 बिस्वा भूमि श्रीमती रचना पत्नी सतीशचन्द्र चौधरी के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई। नवीन सेटलमेण्ट में उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 263 होकर संवत 2072 से 2075 में खाता संख्या 91 में आराजी नं. 463/263 रकबा 0.1500 हैक्टेयर रचना पत्नी सतीशचन्द्र के नाम है जिसमें से 0.0200 हैक्टेयर नेशनल हाईवे के नाम दर्ज हो चुकी है। इसी प्रकार खाता संख्या 108 में से आराजी नं. 414/263 रकबा 0.0400 हैक्टेयर रूपचन्द पिता रामचन्द्र सिंधी के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 85 में आराजी नं. 263 मी. रकबा 0.0800 हैक्टेयर वर्तमान में नेशनल हाई वे के नाम दर्ज हो चुका है। मौका स्थिति अनुसार आराजी नं. 414/263 रकबा 0.0400 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 436/263 रकबा 0.1300 हैक्टेयर मौके पर एक चक होकर पड़त है। नवीन नक्शे में उक्त आराजीयात 263 के टुकड़ों की तरमीम की गई है जिसमें से 414/263 रकबा 0.0400 हैक्टेयर की तरमीम आराजी नं. 463/263 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के उत्तर दिशा में आराजी नं. 265 के समानान्तर की गई है जबकि जमाबन्दी संवत 2059-62 में चस्पा एक शुद्धि पत्र पर चस्पा नक्शे में उक्त भूमि इस आराजी के दक्षिण में साबिक आराजी नं. 178 के समानान्तर थी जिसके अनुसार नवीन आराजी नं. 261 के समानान्तर की जानी थी। परन्तु सहवन से तरमीम आराजी के उत्तर दिशा में 265 के समानान्तर हो गई है जिसे 261 के समानान्तर आराजी नं. 436/263 के दक्षिण में किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने नकल नक्शा ट्रेस ग्राम लक्ष्मीपुरा, नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 91, खाता संख्या 108, न्यायालय निर्णय दिनांक 12.12.2014 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जबकि पैरोकार सरकार ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:36 IST
Reason: SelfAttested

जवाब के साथ पटवार हल्का की रिपोर्ट, मिलान क्षेत्रफल ग्राम लक्ष्मीपुरा, नकल जमाबन्दी संवत 2059-62 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 39, 40, नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 91, 108, 85 शुद्धिपत्र दिनांक 05.12.2005 संवत 2059-62 व उस पर चस्पा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 43 ग्राम लक्ष्मीपुरा की प्रमाणित प्रति, वर्तमान नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व शुद्धिपत्र संवत 2059-62 पर चस्पा नक्शा ट्रेस में विपक्षी संख्या 1 की आराजी दक्षिण दिशा में तरमीम है जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस में विपक्षी संख्या 1 की आराजी प्रार्थीया की आराजी के उत्तर दिशा में तरमीम है। पक्षकारान के स्वामित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है परन्तु नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत होना प्रकट होता है। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना तामिल के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है जबकि तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात को प्रार्थीया की आराजी नं. 436/263 रकबा 0.1300 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा में तरमीम किये जाने की अनुशंषा की है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम लक्ष्मीपुरा के नक्शा ट्रेस में संशोधन करते हुए संलग्न साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार विपक्षी संख्या 1 की आराजी नं. 414/263रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थीया की भूमि आराजी नं. 436/263 के दक्षिण दिशा में आराजी नं. 261 के समानान्तर तरमीम की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.01.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:36 IST
Reason: SelfAttested